भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3119

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ई-सिगरेट

†3119. श्री हैबी ईडन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम, 2014 द्वारा ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के बावजूद देश में ई-सिगरेट की बिक्री को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास अधिनियम के बड़े पैमाने पर उल्लंघनों और उस पर की गई कार्रवाई की कोई व्यापक तारीख उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों का निषेध करने लिए भारत सरकार द्वारा 5 दिसंबर, 2019 को 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम (पीईसीए), 2019' अधिनियमित किया गया है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके कार्यान्वयन के लिए परिचालित कर दिया गया है।

पीईसीए, 2019 के अनुसार, देश में ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध है। भारत सरकार ने ई-सिगरेट की बिक्री को निषिद्ध करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें पीईसीए, 2019 के किसी

भी उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए जनता के लिए "ऑनलाइन उल्लंघन पोर्टल" शुरू करने संबंधी पहल भी शामिल है। ऐसे उल्लंघन के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए ऑनलाइन शिकायतों की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। भारत सरकार ने वर्ष 2023 से शुरू किए गए वार्षिक तंबाकू मुक्त युवा अभियान के माध्यम से पीईसीए 2019 के प्रवर्तन को बढ़ाने की पहल की है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित पीईसीए, 2019 के उल्लंघन के मामलों का विवरण **अनुलग्नक** में है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राजस्व विभाग ने सूचित किया कि वे निरंतर निगरानी रख रहे हैं और अन्य बातों के साथ-साथ आसूचना जानकारी के आधार पर अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस) की सहायता से यात्री प्रोफाइलिंग, जोखिम-आधारित अवरोधन और लक्ष्यीकरण और सामान और कंटेनर स्कैनिंग जैसे गैर-घुसपैठी निरीक्षण अपने सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के माध्यम से ई-सिगरेट की तस्करी को निष्फल करने के उद्देश्य से परिचालन उपाय कर रहे हैं। सीबीआईसी के क्षेत्र संरचनाओं को नियमित रूप से अलर्ट/कार्य प्रणाली संबंधी परिपत्र जारी करके तस्करी के नए तरीकों के बारे में जागरूक किया जाता है। तस्करी के मामलों का पता चलने पर, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जिसमें तस्करी की गई ई-सिगरेट को जब्त करना, शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी और अभियोजन चलाना शामिल है। अप्रैल से नवंबर 2024 की अवधि के दौरान 4.20 लाख ई-सिगरेट जब्त की हैं

*****

अनुलग्नक

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. **3119** **11.12.2024** की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	2023-24			2024-25		
		मामलों की संख्या (ई-उल्लंघन)	जब्त स्टॉक (संख्या में)	स्टॉक का मूल्य (भारतीय रुपये में)	मामलों की संख्या (ई-उल्लंघन)	जब्त स्टॉक (संख्या में)	स्टॉक का मूल्य (भारतीय रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	3	5037
5	बिहार	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	1	1	3500	0	0	0
7	छत्तीसगढ	0	2	2	0	0	0
8	दिल्ली	1	39	0	0	0	0
9	गोवा	1	1	55000	0	0	0
10	गुजरात	16	129	306650	7	379	651100
11	हरियाणा	65	285	33912	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
13	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
14	झारखंड	0	0	0	0	0	0
15	कर्नाटक	6	4034	33547000	0	0	0
16	केरल	3	1	0	0	0	0
17	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	33	191	480800	0	0	0
20	महाराष्ट्र	130	108	19768621	38	38	10493756
21	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
22	मेघालय	0	0	0	0	0	0
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
25	ओडिशा	2	700	13000	0	0	0
26	पुदुचेरी	2	0	0	0	0	0
27	पंजाब	0	0	0	0	0	0

28	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
31	तेलंगाना	6	5	200000	0	0	0
32	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	2	960	4500000	2	2568	10184000
35	उत्तराखंड	0	0	1	0	0	0
36	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	0

*****